संख्या–345 / XLI-1 / 12–19 / 2012

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

(171)

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (गढ़वाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2012

विषयः– प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग शासनादेश संख्या–193 / XXVII(1) / 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग के वचनबद्ध मदों एवं आवश्यक अवचनबद्ध मदों के व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के 04 माह (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये) संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में ₹306.53 लाख (रूपये तीन करोड़ छः लाख त्रैपन हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में ₹1043.34 लाख (रूपये दस करोड़ तैतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वचनबद्ध / अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक / अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी–2–2337 / 97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

7– विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8– बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम–13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनश्चित किया जाय।

9– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा के अधीन संलग्नक परिशिष्ट में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

12– जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

13– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3 निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5 समस्त प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड।
6 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7 नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
8 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
9 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः–345/XLI-1/12–19/2012 दिनांक 23, अप्रैल, 2012 का परिशिष्ठ

राजस्व लेखा अनुदान संख्याः–11 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2203–	तकनीकी शिक्षा		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
03–	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय		
01–	वेतन	-	1233
02–	मजदूरी	-	133
03–	मंहगाई भत्ता	-	839
04–	यात्रा व्यय	-	67
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-	17
06–	अन्य भत्ते	-	148
07–	मानदेय	-	10
08–	कार्यालय व्यय	-	58
11–	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	-	42
12–	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	17
13–	टेलीफोन पर व्यय	-	20
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	-	117
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	-	10
18–	प्रकाशन	-	17
19–	विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	-	17
22–	अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	-	08
26–	मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	-	17
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	17
29–	अनुरक्षण	-	17
42–	अन्य व्यय	-	10
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	-	20
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	-	33
योगः–001–03		-	**2867**
2203–	तकनीकी शिक्षा		
104–	अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता		
03–	के0एल0 पालीटेक्निक, रूड़की		
43–	वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	-	7500
योगः– 104–03		-	**7500**
2203–	तकनीकी शिक्षा		
105–	बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय		
03–	सामान्य पालीटेक्निकों की स्थापना		
01–	वेतन	13333	46667
02–	मजदूरी	200	200
03–	मंहगाई भत्ता	9067	31733
04–	यात्रा व्यय	53	133
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	83	133
06–	अन्य भत्ते	1600	5600
07–	मानदेय	17	17
08–	कार्यालय व्यय	117	100
09–	विद्युत देय	167	500

लेखाशीर्षक / मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
10–	जलकर / जल प्रभार	33	117
11–	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100	83
13–	टेलीफोन पर व्यय	67	100
15–	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	-	17
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4333	6667
17–	किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	333	500
19–	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	33	50
22–	अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	17	17
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	167	167
31–	सामग्री और सम्पूर्ति	267	500
42–	अन्य व्यय	333	333
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	333	333
योगः–105–03		**30653**	**93967**
	महायोगः–	**30653**	**104334**

आयोजनेत्तर– रूपये दस करोड़ तैतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र।
आयोजनागत– रूपये तीन करोड़ छः लाख त्रैपन हजार मात्र।

(सुनील सिंह)
अनु सचिव ।